

गेल इंडिया को झटका, साधारण ब्याज के आधार पर नहीं होगी लीज रेंट की गणना

जासं, नोएडा: प्राधिकरण बोर्ड ने गेल (इंडिया) लिमिटेड की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सेक्टर 16ए स्थित अपने संस्थागत भूखंड पर बकाया लीज रेंट के ब्याज की गणना साधारण ब्याज के आधार पर करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मौजूदा ब्याज मांग पूरी तरह लीड डीड शर्तों के अनुरूप है। इसे पूर्व प्रभाव से बदला नहीं जा सकता।

यह मामला सेक्टर 16ए के 17,466 वर्गमीटर के संस्थागत भूखंड से जुड़ा है, जिसे तीन जुलाई 1986 को गेल को आवंटित किया गया था। लीड डीड एक जनवरी 1992 को निष्पादित हुई और दो अप्रैल 1992 को भूखंड का कब्जा सौंपा गया। यह भूखंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट स्थापित करने के लिए दिया गया था और आवंटन से संबंधित सभी किस्तों का भुगतान गेल पहले ही कर चुका है। समस्या तब उत्पन्न हुई जब कंपनी ने 'एन्हांस्ड लीज रेंट' का भुगतान नहीं किया, जिसे प्राधिकरण की नीति के अनुसार हर 10 साल में 50 प्रतिशत बढ़ाया जाता है।

88 लाख लीज रेंट, 6.5 करोड़ ब्याज: 1992-93 से 2025-26 तक लीज रेंट का बकाया लगभग 88 लाख हो गया है। जबकि प्राधिकरण की वित्तीय नीति के तहत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कुल ब्याज 6.5 करोड़ तक पहुंच गया है। गेल ने नौ जून 2025 को भेजे गए पत्र में अनुरोध

6.5 करोड़ का लीज रेंट चक्रवृद्धि ब्याज समेत देना होगा, बोर्ड ने याचिका पर नहीं जताई सहमति

17,466 वर्गमीटर संस्थागत भूखंड का मामला, जिसे तीन जुलाई 1986 को किया था गेल को आवंटित

किया था कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज पर की जाए। कंपनी ने दलील दी कि 2015 में नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक में सेक्टर एक के दो अन्य भूखंडों पर साधारण ब्याज लागू किया गया था। इसलिए सेक्टर 16ए के मामले में भी समान राहत दी जानी चाहिए। तीन अक्टूबर को हुई बोर्ड बैठक में अधिकारियों ने लीड डीड की उस धारा की ओर ध्यान दिलाया जिसमें वार्षिक लीज रेंट मूल प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत के आधार पर तय किया गया है। चूंकि सेक्टर 16ए के इस भूखंड के लिए कभी भी सप्लीमेंट्री डीड निष्पादित नहीं हुई। इसलिए लीज रेंट पुराने आधार पर चलता रहा। प्राधिकरण ने कहा कि आवंटियों के साथ समानता और कानूनी शर्तों के अनुसार वित्तीय निर्णय होने चाहिए। बोर्ड ने कहा कि ब्याज मांग पूरी तरह वैध है। इसलिए गेल को 6.5 करोड़ से अधिक का चक्रवृद्धि ब्याज ही देना होगा।

गेल को चक्रवृद्धि ब्याज समेत देना होगा लीज रेंट

■ **NBT रिपोर्ट, नोएडा :** प्राधिकरण ने गेल लिमिटेड की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सेक्टर 16ए स्थित अपने संस्थागत भूखंड पर बकाया लीज रेंट के ब्याज की गणना साधारण ब्याज पर करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मौजूदा ब्याज मांग पूरी तरह से लीज डीड की शर्तों के अनुरूप है। इसे बदला नहीं जा सकता। अर्थो रिटी की नीति के अनुसार, हर 10 साल में 50% शुल्क बढ़ाया जाता है। 1992-93 से 2025-26 तक लीज



रेंट का बकाया लगभग 88 लाख रुपये हो गया है। प्राधिकरण की वित्तीय नीति के तहत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कुल ब्याज 6.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। गेल ने 9 जून 2025 को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया था कि साधारण ब्याज लगे। दलील दी कि 2015 में सेक्टर 1 के 2 भूखंडों पर साधारण ब्याज लागू किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने कहा कि 2015 में दी गई राहत विशेष परिस्थितियों पर आधारित थी। इसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता।

गेल को प्राधिकरण से नहीं मिली राहत

नोएडा, 14 नवम्बर (देशबन्धु)। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने गेल (इंडिया) लिमिटेड की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सेक्टर 16ए स्थित अपने संस्थागत भूखंड पर बकाया लीज रेंट के ब्याज की गणना साधारण ब्याज के आधार पर करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मौजूदा ब्याज मांग पूरी तरह से लीज डीड की शर्तों के अनुरूप है, और इसे पूर्व प्रभाव से बदला नहीं जा सकता।

दरअसल, ये मामला सेक्टर 16ए के 17,466 वर्गमीटर के संस्थागत प्लॉट से जुड़ा है। जिसे 3 जुलाई 1986 को गेल को आवंटित किया गया था। लीज डीड 1 जनवरी 1992 को निष्पादित हुई और 2 अप्रैल 1992 को भूखंड का कब्जा सौंपा गया। यह भूखंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट स्थापित करने के लिए दिया गया था और आवंटन से संबंधित सभी किस्तों का भुगतान गेल पहले ही कर चुका है। समस्या तब पैदा हुई

■ चक्रवृद्धि ब्याज समेत देना होगा लीज रेंट

जब कंपनी ने 'एन्हांस्ड लीज रेंट' का भुगतान नहीं किया, जिसे अथॉरिटी की नीति के अनुसार हर 10 साल में 50 प्रतिशत बढ़ाया जाता है।

1992-93 से 2025-26 तक लीज रेंट का बकाया लगभग 88 लाख रुपए हो गया है, जबकि प्राधिकरण की वित्तीय नीति के तहत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कुल ब्याज 6.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। गेल ने 9 जून 2025 को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया था कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज पर की जाए। कंपनी ने दलील दी कि 2015 में नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक में सेक्टर 1 के दो अन्य भूखंडों बी-35 और बी-36 पर साधारण ब्याज लागू किया गया था, इसलिए सेक्टर 16ए वाले मामले में भी समान राहत दी जानी चाहिए।

लेकिन 3 अक्टूबर को हुई बोर्ड बैठक में अधिकारियों ने लीज डीड की उस धारा की ओर ध्यान दिलाया जिसमें वार्षिक लीज रेंट मूल प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत के आधार पर तय किया गया है और हर 10 साल में संशोधन हेतु सप्लीमेंट्री डीड अनिवार्य है। चूंकि सेक्टर 16ए के इस भूखंड के लिए कभी भी सप्लीमेंट्री डीड निष्पादित नहीं हुई, इसलिए लीज रेंट पुराने आधार पर ही चलता रहा और ब्याज की गणना प्रचलित वित्तीय नीति के अनुसार सही पाई गई। प्राधिकरण ने कहा कि 2015 में दी गई राहत विशेष परिस्थितियों पर आधारित थी और इसे स्वतः इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। वित्तीय निर्णय सभी अलॉटियों के साथ समानता और कानूनी शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। अंततः बोर्ड ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि ब्याज मांग पूरी तरह वैध है, इसलिए गेल को 6.5 करोड़ रुपए से अधिक का चक्रवृद्धि ब्याज ही देना होगा।